संख्या-8/2025/001-213-12-5099-139-2024

प्रेषक,

विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक 11 मार्च, 2025**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 105-खाद तथा उर्वरक, 03-उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं योजना हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-गु०नि०-111/518/पुनर्विनियोग/2024-25, दिनांक 23 दिसम्बर, 2024 एवं पत्रांक-गु०नि०-109/572/पुनर्विनियोग/2024-25, दिनांक 04 फरवरी, 2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 105-खाद तथा उर्वरक, 03-उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं के मानक मद 01-वेतन में रू० 20.00 लाख, 02-मजदूरी में रू० 2.96 लाख, 03-महंगाई भत्ता में रू० 7.06 लाख, 49-चिकित्सा व्यय में रू० 4.16 लाख तथा 55-मकान किराया भत्ता में रू० 3.92 लाख अर्थात कुल धनराशि **रू० 38.10 लाख (रूपये अड़तीस लाख दस हजार मात्र)** की संलग्न प्रपत्रों बी०एम०-9(भाग-1) पर वित्त विभाग द्वारा आवंटित **आर.ई.संख्या–बजट-1-478, दिनांक 04 मार्च, 2025** में प्रदत्त सहमति के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य कृषि निदेशक, उ०प्र० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
2. योजनान्तर्गत जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
3. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उ०प्र० का होगा।
4. उक्त धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।
5. जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

---

7. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष:** 2401001050300 (उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	01 वेतन	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
2	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	02 मजदूरी	2,96,000 (रुपये दो लाख छियानबे हजार मात्र)
3	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	03 मंहगाई भत्ता	7,06,000 (रुपये सात लाख छह हजार मात्र)
4	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	49 चिकित्सा व्यय	4,16,000 (रुपये चार लाख सोलह हजार मात्र)
5	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	55 मकान किराया भत्ता	3,92,000 (रुपये तीन लाख बानबे हजार मात्र)
	कुल			**38,10,000** **(रुपये अड़तीस लाख दस हजार मात्र)**

महायोग	38,10,000 (रुपये अड़तीस लाख दस हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
विनोद कुमार वर्मा
अनु सचिव।

संख्या-8/2025/001-213-12-5099-139-2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार प्रथम/द्वितीय-(सिविल/आडिट), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
6. समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार वर्मा
अनु सचिव।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A012-20242025-1542-12-5099-139-2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 105-खाद तथा उर्वरक, 03-उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं योजना हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2415010040300 (उर्वरक नियंत्रण आदेश,बीज एवं कीट नाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लियें गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला)	03 (मंहगाई भत्ता)	20,71,000 रुपये बीस लाख इकहत्तर हजार मात्र	13,26,000 रुपये तेरह लाख छब्बीस हजार मात्र	-13,26,000 रुपये तेरह लाख छब्बीस हजार मात्र	1326000	745000	2024-2025
011	2415010040300 (उर्वरक नियंत्रण आदेश,बीज एवं कीट नाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लियें गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला)	01 (वेतन)	37,66,000 रुपये सैंतीस लाख छियासठ हजार मात्र	24,84,000 रुपये चौबीस लाख चौरासी हजार मात्र	-24,84,000 रुपये चौबीस लाख चौरासी हजार मात्र	2484000	1282000	2024-2025

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2401001050300 (उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें)	01 (वेतन)	1,13,60,000 रुपये एक करोड़ तेरह लाख साठ हजार मात्र	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	20,00,000	13360000	2024-2025
011	2401001050300 (उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें)	02 (मजदूरी)	3,00,000 रुपये तीन लाख मात्र	2,96,000 रुपये दो लाख छियानबे हजार मात्र	296000	596000	2024-2025
011	2401001050300 (उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें)	55 (मकान किराया भत्ता)	7,33,000 रुपये सात लाख तैंतीस हजार मात्र	3,92,000 रुपये तीन लाख बानबे हजार मात्र	392000	1125000	2024-2025
011	2401001050300 (उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें)	03 (मंहगाई भत्ता)	62,48,000 रुपये बासठ लाख अड़तालीस हजार मात्र	7,06,000 रुपये सात लाख छह हजार मात्र	706000	6954000	2024-2025
011	2401001050300 (उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें)	49 (चिकित्सा व्यय)	4,00,000 रुपये चार लाख मात्र	4,16,000 रुपये चार लाख सोलह हजार मात्र	416000	816000	2024-2025

[illegible]
1-[illegible]
क- [illegible]
2-[illegible] 10 [illegible]
क- [illegible]
3-[illegible] 150, 151, 154 व 155 [illegible]

संख्या: आर ई- बजट-1-478 -2024-25, दिनांक 04 ~~फरवरी, 2024~~ मार्च 2025

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(विनोद कुमार वर्मा)
अनु सचिव।

Signed by
Dr. Ramesh Chandra Tiwari
(रमेश चन्द्र तिवारी)
Date: 03-03-2025 17:27:12

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-A012-20242025-1542-12-5099-139-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(4) वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (बी0एम0-9 तीन प्रतियों में)।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1
(8) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार शर्मा)
अनु सचिव।
